

(सुरक्षित तिथि 26-8-2021)
(उद्घोषित तिथि 8-10-2021)

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या 6457 वर्ष 2021

आकाश जाटव उर्फ सूर्यप्रकाश ----- आवेदक

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश ----- विपक्षी

माननीय शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति

1- यह दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक **आकाश जाटव** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 06 वर्ष 2020, अन्तर्गत धारा 295ए, भा0 दं0 सं0 एवं धारा 47-ए, आई0 टी0 एक्ट, थाना हाथरस जक्शन, जिला हाथरस में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार शर्मा, राज्य की ओर से श्री शिव कुमार पाल, विद्वान शासकीय अधिवक्ता एवं श्री मिथिलेश कुमार, श्री अमृत राज चौरसिया, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आवेदक/अभियुक्त ने मोबाईल पर अपनी फेसबुक आई0 डी0 बनाकर भगवान श्रीराम व भगवान श्रीकृष्ण एवं उनके भक्तों के बारे में अश्लील टिप्पणी पोस्ट की है।

4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष हैं उसे इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है। यह भी तर्क रखा गया कि घटना दिनांक 28-11-2019 की है जिसमें आवेदक के नाम से फेसबुक आई0 डी0 बनाकर भगवान श्रीराम व भगवान श्रीकृष्ण के बारे में अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है जब कि आवेदक द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। यह भी तर्क रखा गया कि प्रश्नगत प्रकरण की प्राथमिकी दिनांक 5 जनवरी,

2020 को विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। यह भी तर्क रखा गया कि घटना की तिथि को आवेदक के पास तथाकथित मोबाईल नहीं था। आवेदक दिनांक 4-1-2021 से जेल में निरूद्ध है। ऐसी दशा में आवेदक जमानत पर मुक्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क रखा गया कि संविधान में सभी को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

5— इसके विपरीत विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दौरान विवेचना फेसबुक पर भगवान श्रीराम तथा भगवान श्रीकृष्ण एवं उनके भक्तों के बारे में अश्लील टिप्पणी करने वाला आवेदक/अभियुक्त ही है, और अश्लील पोस्ट करने वाले का मोबाईल नम्बर 8630199680 है, और इसी के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 295ए, भा0 दं0 सं0 एवं धारा 67ए, आई0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। यह भी तर्क रखा गया कि उक्त मोबाईल नम्बर से आवेदक ने आई0 डी0 बनाकर भगवान श्रीराम व भगवान श्रीकृष्ण के नाम से अश्लील टिप्पणी पोस्ट की है जिसके कारण भगवान को मानने वाले भक्तों की भावना को ठेस पहुंची है और शान्ति सौहार्द बिगडा है। यह भी तर्क रखा गया कि सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर आवेदक के विरुद्ध आरोप सत्य पाया गया है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। और कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में असीमित नहीं है।

6— दौरान विवेचना, आवेदक द्वारा अपने नाम की सिम अहमदाबाद में अपने मामा के लडके अजय के मोबाईल में डालकर तथा अपने नाम की आई0 डी0 बनाकर भगवान श्रीराम व भगवान श्रीकृष्ण के नाम से अश्लील टिप्पणी पोस्ट की है। बाद में गवाहों द्वारा जिनके पास आवेदक ने उक्त टिप्पणी पोस्ट की थी उनके द्वारा इस बाबत पुलिस में रिपोर्ट करने की बात की गयी तो आवेदक द्वारा मोबाईल व सिम तोड कर फेंक दिया गया। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया जिसमें उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है। यह भी तर्क रखा

गया कि दौरान विवेचना आवेदक ने अपने नाम से बनाये गये फेसबुक आई0 डी0 के द्वारा भगवान श्रीराम व भगवान श्रीकृष्ण के लिए अश्लील टिप्पणी की जिसका फेसबुक आई0 डी0 नम्बर यू0 आर0 एल0 प्राप्त कर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु साइबर सेल प्रभारी से रिपोर्ट मांगी गयी जिस पर साइबर सेल प्रभारी ने हाथरस में विवेचक को प्रेषित रिपोर्ट से अवगत कराया गया कि फेसबुक नोडल अधिकारी को दो बार फेसबुक पोर्टल पर पत्राचार किया गया लेकिन दोनों ही बार फेसबुकल पोर्टल द्वारा पत्राचार रिजेक्ट कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज होने का कारण यह बताया गया कि अभियुक्त द्वारा अभियोग में वर्णित घटना कारित करने की जानकारी होने के उपरान्त उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना जनता के स्वतन्त्र साक्षियों द्वारा दिए गये बयानों में अभियुक्त द्वारा अभियोग में वर्णित घटना कारित करना बताया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 8630199680 से अपने नाम की आई0 डी0 बनाकर भगवान श्रीराम व भगवान श्रीकृष्ण के नाम से अश्लील टिप्पणी पोस्ट की है जिससे भगवान को मानने वाले भक्तों को काफी ठेस पहुंची है और सौहार्द बिगडा है।

7— उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दी गयी है जिसके अन्तर्गत कोई भी नागरिक स्वतन्त्र रूप से अपनी बात बोल सकता है क्योंकि स्वतन्त्रता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है इसलिए हमें अपने विचार, रचनात्मक कला और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का अवसर मिलता है और वह अपने जीवन में विकास कर सकता है। सही मायने में आजादी भी हमें स्वतंत्र होने के विचार और कृत्य से ही मिली है। भारतीय संविधान में भी स्वतंत्रता के अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बताया गया है जिसमें देश के सभी नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता की बात कही गयी है। अनुच्छेद 19 में, 6 स्वतंत्रताओं की बात कही गयी है जिसमें प्रथम रूप से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रमुख है, जिसमें भारत के नागरिकों को

विचार, भाषण और प्रेस आदि की स्वतंत्रता शामिल है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात कही गयी है जिसमें प्रथम कानून, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है अर्थात् सभी को समान रूप से धर्म, वंश, जाति और लिंग के आधार पर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इसके दूसरे चरण में भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गयी है। भारतीय संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा और उदार संविधान है इसमें किसी नागरिक को धर्म को न मानने या फिर नास्तिक बने रहने की भी छूट है किन्तु यह अवश्य देखा जायेगा कि वह धर्म से जुड़ी परम्परायें, स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था या दूसरे नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ न हो। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में हाथ में मनुष्य की खोपडी लेकर सार्वजनिक नृत्य तांडव करने वाले तांत्रिक को ऐसा करने की छूट नहीं दी और ऐसा करना अपराध माना है। इसी प्रकार मुस्लिमों के ईद के त्योहारों में गाय वध की मनाही है क्योंकि इससे दूसरे धर्म की आस्था को चोट पहुंचती है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता और भारत के विभिन्न कानूनों में इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए एवं धारा 295ए भा0 दं0 सं0 में धार्मिक अपमान के बारे में की गयी टिप्पणी को संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध माना गया है। जहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) ए में अभिव्यक्ति की बात कही गयी है वहीं अनुच्छेद 19 (2) ए में कुछ रोक भी लगायी गयी है। अर्थात् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं हैं जैसे राज्य की सुरक्षा, झूठी अफवाहें, शिष्टाचार के सम्बंध में अश्लील अभिव्यक्ति मानहानि, देश की एकता और सम्प्रभुता के विरुद्ध अभिव्यक्ति को अपराध माना गया है।

8— तांडव फिल्म सीरीज के मामले में न्यायालय ने हाल ही में अपने निर्णय में कहा है कि अभिव्यक्ति असीमित नहीं है और किसी

भी समुदाय की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। धार्मिक आस्था भारत देश के हर नागरिक के हृदय में बसती है। हमारे ऋषि मुनियों और महापुरुषों ने मनुष्य को इंसान से भगवान कैसे बनते है इसके रास्ते हमें दिखाये हैं।

9— गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोर ने कहा है कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की रामायण और महाभारत दो ऐसे ग्रंथ है जिनमें भारत की आत्मा के दर्शन होते है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में भगवान राम का बहुत बड़ा महत्व था। भगवान श्रीराम की रामायण से यह पता चलता है कि पिता—पुत्र, भाई—भाई, गुरु—शिष्य, राजा एवं प्रजा के बीच सम्बंध कैसा होना चाहिए। समाजिक समरसता का उदाहरण भी रामायण से इतर कहीं नहीं मिल सकता, जहां एक राजा बनवासी, गिरीवासी, बन्दर, भालू, पक्षी आदि को अपनी सेना में आदरपूर्वक सम्मान देते हैं और साथ ही साथ वन में रहने वाली भिलनी के झूठे बेर खाते है और निषादराज को गले लगाते है और शत्रु से भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म का फल व्यक्ति में उसी तरह ढूँढ लेती है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों के बीच अपनी मां को ढूँढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न इसे न जलाया जा सकता है न ही इसे भिगोया जा सकता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नये वस्त्र धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। जब यह संसार ही स्थाई नहीं है तो इस संसार की वस्तु कैसे स्थाई हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते नश्वर है और केवल शरीर से जुड़े है जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है आत्मा शरीर छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके है, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, न तो मेरा, आखिरी जन्म है और न तुम्हारा। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत है, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मफल में दखल देता

हूँ। तुम्हें सदा कर्म करते रहना चाहिए। परिवर्तन ही समय में स्थाई है इसलिए परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। आगे कितना सुन्दर विचार श्रीकृष्ण ने किया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, स्वयं को मुझमें छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा है जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण की भगवद्गीता उपदेश मनुष्य जीवन को सदमार्ग पर ले जाने वाला संदेश है जिसमें मनुष्य जीवन की सार्थकता के महत्व को बताया गया है जिस पर चलकर संसार का कल्याण हो सकता है। "बसुधैव कुटुम्बकम्" अर्थात् पूरा संसार मेरा परिवार है, ऐसी संकल्पना भारत के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। राम—राम, आपसी मेलचारा का उद्बोधन है, और अन्त में राम नाम सत्य है कहकर जीवन की अंतिम यात्रा को राम नाम शब्द से सार्थक बनाने की परम्परा भारत देश में ही है। कितनी सुन्दर बात श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कही है:—

यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।।

उक्त श्लोक गीता के चौथे अध्याय के श्लोक सातवें व आठवें है। जिसका अर्थ है— मैं प्रकट होता हूँ मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग—युग में मैं जन्म लेता हूँ।

10— इन्ही बातों को देखकर ही हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को चित्रित रूप में निरूपित किया है उसमें दिखाया गया है कि सत्यरूपी राम, असत्य रूपी रावण पर विजय पाकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे हैं। भगवान श्रीकृष्ण, गांडीवधारी अर्जुन को गीता संदेश देकर जीवन की सार्थकता बता रहे हैं। अर्थात्

भारतीय संविधान लिखने वालों ने भी यह समझा कि राम एवं कृष्ण के बिना जो कि भारत की आत्मा है, के बगैर भारतीय संविधान की परिकल्पना नहीं की जा सकती और आज राम और कृष्ण हर भारतीय नागरिक के दिल में बसे हैं। और उनका लेकर वह अपना जीवन भलीभूत समझता है। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के बारे में अश्लील बातें करता है तो यह निश्चित रूप से भारतीय आस्था और भारतीय संविधान के विरुद्ध है और जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता और कानून में प्रदत्त दण्ड पाने का वह अधिकारी है। भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम केवल हिन्दू तक सीमित रहें हो ऐसा नहीं है। वे मुस्लिमों के बीच भी बड़े लोकप्रिय रहे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, "जो सनातन धर्म और इस्लाम के बटवारे से परे खुद को भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में डूबे हुए है।" उनमें कवि सैय्यद इब्राहिम जो वाद में कवि रसखान के नाम से चर्चित हुए उन्होंने भागवत का अनुवाद फारसी में किया था और भगवान श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए लिखा, "मानुस है तो वहीं रसखान बसौ मिलि गोकुल गांव के ग्वारन।" अमीर खुसरो ने श्रीकृष्ण की स्तुति में "छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के। "आलम शेख रीति काल के कवि थे उन्होने" आलम केलि स्याम स्नेही और माधवनल काम कंदला "नाम के ग्रंथ लिखे। उन्होने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं को अपनी रचना में उतारा और पालने खेलत नंद ललन छलन बलि गोद लै हैं ललना करति मोद गान," "उनकी प्रमुख रचना है। नवाबों के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह भगवान श्रीकृष्ण के दीवाने थे 1843 में उन्होंने राधा कृष्ण पर एक नाटक करवाया था और उसका निर्देश किया था। एक मुस्लिम संत सालबेग जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के प्रिय भक्त थे और यही कारण है आज भी जगन्नाथ पुरी की जगन्नाथ यात्रा उस मुस्लिम संत सालबेग की मजार पर रुकती है। अब्दुल रहीम खानखाना ने श्रीकृष्ण पर बहुत सारी रचनाएं लिखीं। नजीर अकबराबादी का भगवान श्री कृष्ण प्रेम पराकाष्ठा पर था उनकी एक रचना इस प्रकार है— "तू सबका खुदा, सबपे फिदा, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी, हे कृष्ण

कन्हैया, नंदलला, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी, तालिब हो तेरी रहमत का, बन्दय नाचीज, नजीर तेरा, तू बहदे करम है, नंदलाला ऐ सल्ले अला, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी। "उनकी "बलदेव की मैला और कन्हैया का बालपन" अति लोकप्रिय रचना है। इसके अलावा मुस्लिम कवियों में मौलाना हसरत मोहानी, शायर अली सरदार जाफरी, मौलाना जफर अली, शाह बकरतुल्लाह और ताज मुगलानी जैसे कवियों ने भगवान श्रीकृष्ण की प्रेम का बखूबी चित्रण करके हिन्दू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की है। एक और शायर है जो हिन्दी और मुस्लिम भाषा को कैसे जोड़ते हैं, "लाम के मानिन्द है गोसू मेरे घनश्याम के, वो सभी काफिर है जो कायल नहीं इस्लाम के।"

11— हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्षों पड़े रामजन्म भूमि के मामले में निर्णय इस देश के "राम" को मानने वालों के पक्ष में दिया है। यह एक मिसाल है कि राम इस देश के हर नागरिक के दिल में बसते हैं, वह भारत की आत्मा है, पहचान है, इस देश की संस्कृति है और "राम" के बिना भारत अधूरा है। रामायण और महाभारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका मूलरूप से लिपिबद्ध करने वाले महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास ये दोनों ऐसे समाज से हैं जिन्हें आज भी कुछ नासमझ लोग छोटी जाति का समाज कहते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि जाति छोटी बड़ी नहीं होती, छोटा बड़ा होता है उनका कर्म। तथाकथित बड़ी जाति के लोग भुलावे में आकर तथाकथित छोटी जाति को उनकी जाति को लेकर अपमानित करते हैं, ऐसे लोग नैतिकता का हनन तो करते ही हैं, साथ ही संविधान के समक्ष सभी को समानता के अधिकार का भी संवैधानिक उल्लंघन करते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो अपनी जाति के कारण समाज में काफी उपेक्षित हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा उदाहरण संविधान निर्माता डाक्टर भीम राव अम्बेडकर हैं। किन्तु उनको भी जाति उपेक्षा हिला नहीं पायी और इतना अपमान के बाद भी वह भारतीय संविधान के निर्माता बने।

12— वर्तमान वाद में भी आवेदक/अभियुक्त ने भगवान श्रीराम व भगवान श्रीकृष्ण के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से

उनकी अश्लील चित्रों का प्रसारण फोन के माध्यम से सार्वजनिक किया है। भगवान श्रीराम व भगवान श्रीकृष्ण भारत देश के महापुरुष हैं जिन्हें देश के बहुसंख्यक अपना अराध्य मानते हुए हजारों वर्ष से पूजते चले आ रहे हैं और यदि उन महापुरुषों या भगवान के बारे में कोई अश्लील टिप्पणी करता है तो उनके मानने वालों की आस्था पर चोट पहुंचाता है। दुनिया का कोई कानून ऐसे कुकृत्य आचरण को कभी स्वीकार नहीं करता। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे आचरण के लिए कठोर सजा का प्राविधान है। भारत देश एक उदार देश है यहां पर कम सजा का ही प्राविधान है। देश में रहने वाले हर नागरिकों का यह कतर्ब्य है कि वह जिस देश में रहते हैं वहां के महापुरुषों और वहां के देवी, देवताओं और संस्कृति का आदर करें। यदि वह भी नहीं कर सकते हैं तो उनपर कोई अश्लील टिप्पणी भी न करें, जिससे की अन्य लोगों की आस्था पर आघात पहुंचे। हमारा भारतीय संविधान बहुत उदार है और प्रत्येक नागरिक को यह छूट है कि आप ईश्वर को न मानें, पूजा न करें, अनीश्वर वादी हों इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है किन्तु फर्क तब पड़ता है जब कोई किसी दूसरे धर्म, सम्प्रदाय के महापुरुषों, भगवान, खुदा व गॉड का अश्लील चित्र बनाकर अश्लील टिप्पणी कर उसे सार्वजनिक करता है, जिसे संविधान स्वीकार नहीं करता है। पीछे भी ऐसे बहुत से प्रकरण आये हैं जिनमें भारत के महापुरुषों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की गयी है जिसका देश के प्रत्येक नागरिक चाहे वे हिन्दू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हों सभी ने एक साथ मिलकर उसकी निन्दा की है।

13— इसी प्रकार भगवान राम ने, परिवारिक मर्यादा की सीमा क्या होती है और कैसे परिवार और समाज को बराबर का स्थान देकर सम्मानपूर्वक जीवन जिया जा सकता है, इसका वर्णन महर्षि बाल्मीकि ने और मनुष्य जीवन का मर्म अर्थ एवं सार्थकता के बारे में महाभारत गीता में महर्षि वेदव्यास ने बताकर विश्व को कल्याणकारी संदेश दिया है। इस कारण श्रीराम, श्रीकृष्ण, रामायण, गीता और इसके रचयिता महर्षि बाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास जो भारत देश

की संस्कृति है, धरोहर हैं, को भारतीय संसद में कानून लाकर राष्ट्रीय सम्मान देने की आवश्यकता है। साथ ही देश के सभी स्कूलों में इसे अनिवार्य विषय बनाकर बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति संस्कारित होता है और अपने जीवन मूल्यों और अपनी संस्कृति से भिन्न होता है। अच्छी शिक्षा ही अच्छे मनुष्य का निर्माण करती है बाकी आज की बहुतायत शिक्षा पश्चात इतिहासकारों पर ही आधारित है जिन्होंने चाटुकारिता और स्वार्थ में आकर इस भारतीय संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है।

14— राम और कृष्ण ने इसी भारतदेश की धरती पर जन्म लिया और यहां के लोगों के कल्याण के बारे में सोचा और जीव कल्याण के लिए जीवन भर निस्वार्थ कार्य करते रहे और वह कार्य विश्व कल्याण बन गया और इसी कारण विश्व के कई देश राम और कृष्ण और उनके कृत्यों और विचारों को मानते हैं। ऐसे बहुत विचार इस भारतीय संस्कृति में देखने को मिलते हैं।

सर्वेभवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्त, मा कश्चित दुःख भाग्भवेत् ॥

उक्त श्लोक वृहदारण्यक उपनिषद् से लिया गया अर्थात् सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। "वसुधैव कुटुम्बकय" अर्थात् विश्व मेरा परिवार है, तथा मनुस्मृति में "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता। "नारी के सम्मान में कहा गया है कि "जहां नारी का सम्मान होता है वहीं ईश्वर निवास करते हैं।" उक्त प्रकार का विचार केवल और केवल भारत देश में ही देखने और कृत्य में मिलता है इसके अलावा ऐसे विश्वकल्याणकारी विचार और कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे में कोई देश का नागरिक उन पर अश्लील टिप्पणी करे तो और उसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करे तो यह किसी को भी स्वीकार नहीं होगा और अपराध की श्रेणी में आयेगा।

15— अभियुक्त/आवेदक द्वारा भारत देश के महापुरुष भगवान श्रीराम व भगवान श्रीकृष्ण के बारे में जो अश्लील टिप्पणी की गयी है

वह इस देश के बहुसंख्यक लोगों की आस्था पर चोट है और इससे समाज में शान्ति, व सौहार्द बिगड़ता है और भोले भाले लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। यदि न्यायालय ऐसे लोगों के साथ नरमी बरतेगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके इस आचरण से देश में सौहार्द बिगड़ेगा।

16— प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण और उनके मानने वालों पर अश्लील टिप्पणियों का प्रसारण किया गया है। विवेचनाधिकारी ने तमात सबूत एकत्र करने के बाद आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। आवेदक ने अपने सिम के आधार पर बेबसाइड बनाया और अपने रिश्तेदार के मोबाइल में उसे डालकर अश्लील टिप्पणी करके उसे सार्वजनिक किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है।

17— आवेदक/अभियुक्त दस माह से जेल में है तथा सत्र परीक्षण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है एवं निकट भविष्य में सत्र परीक्षण समाप्त होने की सम्भावना नहीं है। **दाताराम सिंह प्रति राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य, (2018) 3 एस0 सी0 सी0 22** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, जमानत अभियुक्त का अधिकार है तथा जेल अपवाद है, के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को इस चेतावनी के साथ कि वह भविष्य में ऐसा अपराध दुबारा नहीं करेगा, निम्न शर्तों के अधीन उसका जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

18— तदनुसार आवेदक **आकाश जाटव उर्फ सूर्यप्रकाश** को उपरोक्त अपराध में निम्न शर्तों के साथ सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध पत्र एवं उसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड़ दिया जाए।

(1) आवेदक विचारण के दौरान सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(2) आवेदक गवाहान को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

(3) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से कोई छेड़ छाड़ नहीं करेगा।

यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो विचारण न्यायालय को यह छूट रहेगी कि वह आवेदक की जमानत निरस्त कर सकेगा।

दि०- 8-10-2021/अ